न्यायालयः— नितिन कुमार मुजाल्दा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक. 3११. / 2024 ग्वालियर दिनांक 06 / 04 / 2024

//विविध–आदेश //

म.प्र. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर द्वारा पदभार ग्रहण करने एवं ग्वालियर स्थापना से न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के स्थानांतरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रशासनिक कार्य व सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक कमांक 859 / 2023 ग्वालियर दिनांक 08.09.2023 को कॉलम नंबर 8, 12 एवं 13 को विलोपित किया जाकर धारा 138 एन.आई. एक्ट के संबंध में निम्नानुसार दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक में संशोधन किया जाता हैं, अर्थात धारा 138 एन.आई. एक्ट के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा:–

1	श्री अमूल मण्डलोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	**1.** आरक्षी केन्द्र **माधौगंज, विश्वविद्यालय, पुरानी छावनी, बिजौली** क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद–पत्र **2.** इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। **3.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
2	श्रीमती प्रियंका मालपानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	**1.** आरक्षी केन्द्र **जनकगंज, गोले का मंदिर, ग्वालियर, काईम ब्रांच, भंवरपुरा** क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद–पत्र **2.** इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। **3** अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
3	श्री जितेन्द्र सिंह परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	**1.** आरक्षी केन्द्र **बहोड़ापुर, पड़ाव, हजीरा, मोहना, तिघरा** क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद–पत्र **2.** इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। **3.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
4	सुश्री फाल्गुनी शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	**1.** आरक्षी केन्द्र **कम्पू, थाटीपुर, गिरवाई, घाटीगांव, आरोन** क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद–पत्र **2.** इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। **3.** अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
5	श्री कुनाल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	**1.** आरक्षी केन्द्र **इंदरगंज, झांसीरोड़, महाराजपुरा, उटीला** क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंट एक्ट 2007 के

		अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद–पत्र 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
6	श्री मानवेन्द्र सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर	1. आरक्षी केन्द्र मुरार, **कोतवाली, सिरौल, पनिहार, बेंहट** क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद–पत्र 2. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना

2. दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका कमांक 36 जो श्रीमती ऋचा शर्मा, जे.एम.एफ.सी. भितरवार से संबंधित है, को विलोपित किया जाकर उक्त समस्त कार्य दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका कमांक 35, जो श्री राकेश सिंह जे.एम.एफ.सी. भितरवार से संबंधित है में जोडा जाता है।

नोटः–

1. धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित ऐसे गिरफ्तारी वारण्ट, जो ग्वालियर से बाहर के जिले के पुलिस अधिकारियों को भेजे गये हैं, और संबंधित न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, ऐसे वारण्ट/ऐसे वारण्टों से संबंधित विविध कार्यवाहियां **श्री जितेन्द्र सिंह परमार जे.एम.एफ.सी.** ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत होगें।

2. धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगें एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। यदि स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाली न्यायालय रिक्त नहीं है, तो ऐसी दशा में स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में अभियुक्त को उसी न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा, जिस न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है।

उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत पीठासीन अधिकारी के पदभार ग्रहण करते ही तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

दिनांक 06/04/2024

(नितिन कुमार मुजाल्दा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर

अनुमोदित

06/04/2024

(प्र.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ग्वालियर

पृष्ठांकन कमांक 401 /2024 ग्वालियर दिनांक 06/04/2024

1— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर/भितरवार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3— अध्यक्ष अभिभाषक संघ, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4— पंजीयन लिपिक, पूछताछ केन्द्र जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारों द्वारा पूछे जाने पर प्रकरण अंतरण की जानकारी तुरंत उपलब्ध करावें।
5— सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विविध आदेश समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर के ई.मेल पर अपलोड किया जावे।

06/4

(नितिन कुमार मुजाल्दा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर